GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO – 96*
ANSWERED ON - 10/02/2021

AGE RELAXATION UNDER EWS QUOTA

96 #. SHRI VIVEK THAKUR

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether there is a provision for age relaxation in Government jobs and education under EWS quota for the economically weaker sections of the general category;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and

(c) whether Government has any such provision under its consideration?

ANSWER

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(SHRI THAAWARCHAND GEHLOT)

(a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

***

Statement in answer to parts (a) to (c) of the Rajya Sabha Starred Question No.96 for 10.2.2021 by Shri Vivek Thakur regarding Age Relaxation under EWS quota.

(a) & (b) No Sir. The rules framed by the Government regarding reservation to EWS do not provide for Age Relaxation.

(c) No Sir.

***

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *96
उत्तर देने की तारीखः 10.02.2021

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कोटा के तहत आयु सीमा में छूट

*96. श्री विवेक ठाकुरः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कोटा के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आयु सीमा में छूट का उपबंध है;

(ख) यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(श्री थावरचन्द गेहलोत)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

श्री विवेक ठाकुर द्वारा पूछा गया ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत आयु में छूट विषयक राज्य सभा में दिनांक 10.02.2021 को उत्तर के लिए तारांकित प्रश्न संख्या *96 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): जी , नहीं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण में आयु सीमा में छूट का प्रावधान नहीं है।

(ग): जी , नहीं।

*****

श्री विवेक ठाकुर :सभापति महोदय ,2019 में NDA सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लेकर शैक्षणिक अवसरों और रोज़गार में 10 फीसदी का आरक्षण EWS category के बच्चों को देने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था। कुछ समय बीत गया है और ऐसा लग रहा है कि इसका पूर्ण स्वरूप अभी भी खड़ा नहीं हो पाया है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व सामान्य वर्ग के EWS कोटे के तहत श्रेणीबद्ध लोग सरकारी नौकरियों व शिक्षा में आवदेन करते हैं ,उनकी उम्र सीमा में अगर कोई छूट का प्रावधान है ,तो क्या है और यदि नहीं है ,तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है ?सर ,इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है।

श्री कृष्ण पाल :माननीय सभापति जी ,माननीय सदस्य ने जो सवाल रखा है ,उसके विषय में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इतना कहना चाहूँगा कि वर्तमान में EWS को आरक्षण देने के बारे में सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली में आयु में छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री विवेक ठाकुर :सभापति महोदय ,मैं मंत्री जी को यह बताना चाहूँगा कि जब OBC समुदाय को भी यह छूट मिली थी ,तो इसका पूरा प्रबंधन करने और निर्णय पर आने पर सरकार को भी 14-12 महीने का वक्त लगा था। तो मैं यह कहूँगा कि सोच को इस तरह से विकसित किया जाए कि यह जो ऐतिहासिक निर्णय इस प्रगतिशील सरकार ने किया है ,उसका पूर्ण स्वरूप खड़ा हो सके।

श्री कृष्ण पाल :माननीय सभापति जी ,माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है ,मैं आपके माध्यम से उसके बारे में इतना कहना चाहूँगा कि जिस समय OBC और SC को यह आरक्षण दिया गया ,उस समय परिस्थितियाँ कुछ और थीं। जितने पद उनके लिए अधिसूचित किये जाते थे ,निकाले जाते थे ,उतनी संख्या में आवेदन नहीं आते थे और जब आवेदन नहीं आते थे ,तो इस कारण से आगे चल कर उसमें उनको आयु में छूट भी दी गयी। लेकिन जो EWS है ,उसमें जितने पद आते हैं , जितनी रिक्तियाँ आती हैं ,उसमें उस तरह का सिस्टम नहीं है ,पूरे आवेदन आते हैं ,इसलिए इसमें इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं हो सकता।

सुश्री सरोज पाण्डेय :महोदय ,मैं सरकार को सबसे पहले इस बात के लिए साधुवाद देती हूँ कि सरकार ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए जो आरक्षण लागू किया ,वह आज़ादी के बाद अपने आप में एक इतिहास है। मैं सरकार से यह कहना चाहती हूँ कि सरकार ने इस आरक्षण को लागू किया ,लेकिन कुछ राज्यों में यह लागू नहीं हुआ है ,जैसा मेरी जानकारी में है। अगर यह लागू नहीं हुआ है ,तो इसके क्या कारण हैं?

श्री कृष्ण पाल :माननीय सभापति जी ,मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को यह जानकारी देना चाहूँगा कि यह अधिनियम लोक सभा में 0 8.01.2019को पारित हुआ ,राज्य सभा में 0 9.01.2019को पारित हुआ और माननीय राष्ट्रपति जी ने 12.01.2019 को उसको पारित किया और 2019 में ही वह अधिसूचित हुआ ,उसके नियम, और सब कुछ बन गये और सारी राज्य सरकारों को इसके विषय में जानकारी दे दी गयी है।)... व्यवधान ...(अब इस तरह की कोई जानकारी कि किसी राज्य में अगर इसको लागू नहीं किया गया है)... ,व्यवधान ...(तो हम

जानकारी प्राप्त करके)... व्यवधान ...(सब राज्यों में इसको लागू करायें ,ऐसा हमारा प्रयास रहेगा।)... व्यवधान...(

श्री सभापति :प्रो .मनोज कुमार झा।

प्रो .मनोज कुमार झा :ऑनरेबल चेयरमैन सर)... ,व्यवधान ...(माननीय मंत्री जी से मेरा एक सीधा सा प्रश्न है कि for the lateral entry at JS level, whether the DoPT got in touch with the Ministry of Social Justice and Empowerment because that is a very crucial issue and it is disturbing the rhythm and minds of so many people.

श्री कृष्ण पाल :माननीय सभापति जी ,माननीय सदस्य ने जो DOPT के बारे में कहा है ,DOPT से हमें जानकारियाँ मिलती हैं कि जो कानून बनाया गया है ,उसको केन्द्र सरकार में और सभी राज्य सरकारों में proper लागू किया जा रहा है और उसका पालन भी किया जा रहा है। कितने admissions हो रहे हैं ,कितनी नौकरियाँ मिल रही हैं ,ये सारी जानकारियाँ हमें राज्य सरकारों से और DOPT से मिलती रहती हैं।

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, my question was different. It was about lateral entry.

MR. CHAIRMAN: You can write to him.

DR. FAUZIA KHAN: Sir, on the principle of parity, I believe, EWS must be given age relaxation. It should be considered. Sir, I have another question. As we all know, one year has literally been deleted from our lives during the Covid pandemic. Hence, I would like to address this question through you: Can the Government consider giving all candidates, whose age limit was due to end in 2019, a relaxation of one year as a policy for employment in all the Departments?

श्री सभापति : सभी वर्गों के लिए एक साल बढ़ाने के बारे में सवाल है।
श्री कृष्ण पाल **:** सभापति महोदय ,मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस तरह का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

श्री सभापति :प्रश्न संख्या... .97 (व्यवधान)...

श्री नीरज शेखर : सभापति महोदय ,सबसे पहले मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। मेरा एक आग्रह है कि हम लोग ,जो गैलरी में बैठ रहे हैं ,उनको कभी टी.वी .पर दिखाया नहीं जाता है। सर ,मैं चाहता हूं कि राज्य सभा टी.वी .के लोग हम लोगों को भी टी.वी .पर दिखाते रहें।

श्री सभापति : नीरज शेखर जी को हमेशा टी.वी .पर दिखाते रहें। केवल नीरज शेखर ही नहीं , जो भी लोग गैलरी में बैठते हैं ,उनको और प्रमुखता से दिखाते रहना चाहिए। कारण यह है कि वे वहां बैठ रहे हैं।